



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर धोखाधड़ी से सरकारी दस्तावेज के जालसाजी व आबकारी अधिनियम में 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 07,21,488 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 168/2017 धारा-255,420 भा0द0स0 एवं 60/72 आबकारी अधिनियम एवं 63/68 कॉपीराइट एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.श्यामबिहारी पुत्र पुत्तिलाल निवासी 103 भीखर तहसील अकबरपुर जनपद रमाबाईनगर(कानपुर देहात) व 2.दिलीप यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी केवड़िया थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 07,21,488 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
डीजीसी श्री राजेश कुमार  
शुक्ला



विवेचक-  
उ0नि0 दिलीप  
कुमार यादव



पैरोकार- थाना सिसोलर  
हे0का0 राघवेन्द्र